संख्या-5/2015/1/2/2014-का-प्रसको/2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब, लखनऊ।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ लखनऊ : दिनांक : 15 मई, 2015

विषय:-राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अनुरूप प्रदेश के लिपिकीय संवर्ग के सरकारी सेवकों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या-96/शोध.मू.प्र.-22(18)/लि.स.आधारभूत प्रशि./2014-15, दिनांक 25.02.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1/14/98-का-प्रसको/2014, दिनांक 03.07.2014 के प्रस्तर-1(3) के प्राविधानानुसार, उत्तर प्रदेश सचिवालय से भिन्न लिपिकीय संवर्ग के अन्य कार्मिकों हेतु दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा तैयार किये गये 07 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम पर, राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए यह आदेश भी देते हैं कि उक्त कार्यक्रम पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग के आय-व्ययक की मानक मद संख्या 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में प्राविधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

2. कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-1/2/2014(1)-का-प्रसको/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।
4. निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

रघुनाथ सिंह परिहार
संयुक्त सचिव

http://Shasanadesh.up.nic.in